



राजस्थान सरकार
राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर +91-141-2702477, 2702528
E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in, Website :- www.rajamadarsa.org



क्रमांक: एफ. ()/रामबो/पंजीयन/2021-22

दिनांक:

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन साचिव, एवं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के द्वारा निम्न मदरसों क्रमोन्नत करने हेतु प्रशासनिक सहमति दिये जाने के अनुसरण में राजस्थान मदरसा बोर्ड में प्राथमिक श्रेणी में पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु सम्बन्धित मदरसों के सदर/सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पेनल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ() /रामबो/पंजीयन/2021-22/4286 एवं संशोधित नीति दिनांक 28.09.2021 द्वारा निम्न मदरसों को क्रमोन्नत करने की अनुमोदित की गई नीति के तहत समीक्षा कर योग्य पाए गए निम्नलिखित मदरसों को क्रमोन्नत करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	जिला	मदरसा का नाम	पंजीयन संख्या	मान्यता का स्तर
1	जैसलमेर	मदरसा इमाम हसन हुसैन, दामणगढ़, पोस्ट छतांगढ़ तह. फतहगढ़ जिला जैसलमेर	3353	उच्च प्राथमिक/2021-22

मदरसा प्रबंध कमेटी को निम्न निर्देशों की पालना करनी होगी :-

- पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की नीति में बोर्ड आदेश क्रमांक एफ() /रामबो/पंजीयन/2021-22/4286 एवं संशोधित नीति दिनांक 28.09.2021 वर्णित मापदण्डों को बनाए रखना होगा।
- मदरसे के नाम से बैंक में खाता खुलवाना होगा जिसमें प्रत्येक समय बैंक में रुपये 10000/- की सावधि जमा रखनी होगी।
- राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी, साथ ही मदरसे में अध्ययनरत बच्चों का नामांकन पंजिका, उपस्थिति पंजिका एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की उपस्थिति पंजिका संधारित करनी होगी।
- राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण के समय उपस्थित रहकर मांगी गई सूचनाएँ एवं रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा।
- राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक सामग्री का स्टॉक रजिस्टर संधारित करना होगा एवं सहायता अनुदान राशि का रिकॉर्ड रखना होगा।
- यह आदेश राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(हरिनारा कुमार आदित्य)
सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

176

क्रमांक: एफ ()रामबो/पंजीयन/2021-22/ 5810

दिनांक: 10.3.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. उपायुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
6. सदर/सचिव मदरसा।
7. निजी पत्रावली संबंधित मदरसा।
8. सूचना सहायक कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर लेख है कि वह उक्त आवेग को डाटा कौचर मे संधारित करें एवं संबंधित को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

31/03/22

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर